न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण सुथार आर.ए.एस.

मि0न0 – 176/2019

1. रोहताश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. निहालसिंह पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी त0 भादरा।
2. औमप्रकाश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी त0 भादरा।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदनलाल कड़वासरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र पवार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 60/61 के खसरा सं0 118/2 की 3.9200है0 खसरा सं0 182/2 की 3.2630है0 खसरा सं0 440/404 की 4.8060है0 कुल 11.9890है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 निहालसिंह की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रोहताश प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह प्रतिवादी सं0 2 औमप्रकाश प्रतिवादी सं0 3 सुभाषचन्द्र को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.6.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:18:55 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण सुथार आर.ए.एस.

मि0न0 – 176/2019

1. रोहताश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी त0 भादरा। :– वादी

ब ना म

1. निहालसिंह पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी त0 भादरा।
2. औमप्रकाश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी त0 भादरा।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक हक अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 1955

उपस्थितः–श्री मदन कड़वासरा **वादी**
श्री नरेन्द्र पचार **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक :– 25-06-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 60/61 के खसरा सं0 118/2 की 3.9200है0 खसरा सं0 182/2 की 3.2630है0 खसरा सं0 440/404 की 4.8060है0 कुल 11.9890है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा नानकराम की खातेदारी हुआ करती थी। नानकराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा [illegible] अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। [illegible] सं0 4 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया [illegible]

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रोहताश पुत्र निहालसिंह जाति जाट के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही जिगासरी बड़ी संवत 2072–75 प्रदर्श 2 व जमाबंदी संवत 2029–38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:18:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही जिगासरी बड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही जिगासरी बड़ी संवत 2072–75 प्रदर्श 2 व जमाबंदी संवत 2029–38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 में वारिस प्रमाण के अनुसार निहालसिंह के तीन पुत्र रोहताश, औमप्रकाश व सुभाषचन्द्र व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 60/61 के खसरा सं0 118/2 की 3.9200है0 खसरा सं0 182/2 की 3.2630है0 खसरा सं0 440/404 की 4.8060है0 कुल 11.9890है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 निहालसिंह की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रोहताश प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह प्रतिवादी सं0 2 औमप्रकाश प्रतिवादी सं0 3 सुभाषचन्द्र को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:18:55 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner